



## महाराष्ट्र में नजी स्कूलों को RTE कोटा प्रवेश से छूट

### प्रलिस के लयः

[अलपसंखयक शैक्षणिक संस्थान \(MEI\), बच्चों को नःशुलक और अनवारय शकषा का अधकार \(RTE\) अधनियम 2009](#), अनुच्छेद 21A के तहत सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधकार, [भारतीय संवधान के अनुच्छेद 29 और 30](#)

### मेन्स के लयः

[RTE अधनियम, 2009, MEI और RTE के बीच संबंध, शकषा](#) ।

[स्रोतः इंडयिन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

महाराष्ट्र स्कूल शकषा वभाग ने हाल ही में एक गजट अधसूचना जारी कर नजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों को कुछ शर्तों के तहत वंचति समूहों और कमज़ोर वर्गों के लयः अनवारय 25% प्रवेश कोटा से छूट दे दी है ।

- बच्चों को नःशुलक और अनवारय शकषा का अधकार अधनियम, 2009 (धारा 12.1(C) के अनुसार, गैर-सहायता प्राप्त स्कूल यह सुनश्चिति करने के लयः बाध्य हैं कःकक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले 25% छात्र "आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्ग तथा वंचति समूह" से संबंधति होने चाहयि ।

### नोटः

- इस कदम के साथ कर्नाटक के वर्ष 2018 के नयिम और केरल के वर्ष 2011 के नयिमों का पालन करते हुए, महाराष्ट्र नजी स्कूलों को RTE प्रवेश से छूट देने में कर्नाटक तथा केरल के साथ शामिल हो गया है, जो शुलक में छूट केवल तभी देता है जब कोई सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल पैदल दूरी के भीतर न हो, जो कक्षा 1 के छात्रों के लयः 1 कमी. नरिधारति है ।

## नया नयिम वास्तव में क्या है?

- नया नयिम स्थानीय अधकारयिों को महाराष्ट्र के बच्चों के नःशुलक और अनवारय शकषा के अधकार नयिम, 2013 के तहत वंचति समूहों तथा कमज़ोर वर्गों के 25% प्रवेश के लयः नजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की पहचान करने से रोकता है, यदः सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल (जो सरकार से धन प्राप्त करते हैं) उस स्कूल के एक कलिमीटर के दायरे में हैं ।
  - ऐसे नजी स्कूलों को अब 25% प्रवेश की आवश्यकता का पालन करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि इन कषेत्रों के छात्रों को सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश के लयः प्राथमकता दी जाएगी ।
- अधसूचना में कहा गया है कः यदः कषेत्र में कोई सहायता प्राप्त स्कूल नहीं है, तो RTE प्रवेश के लयः नजी स्कूलों का चयन कयिा जाएगा औफिस की प्रतःपूरति की जाएगी, इसके अनुसार बाध्य स्कूलों की एक नई सूची तैयार की जाएगी ।

## राज्यों ने ऐसी छूटें क्यों पेश की हैं?

- चूँकि माता-पति को सरकारी स्कूलों के नकिट नजी स्कूलों में बच्चों का नामांकन करने की अनुमति देने की राज्य की पूर्व नीति सरकारी स्कूलों में नामांकन में भारी कमी हुई थी, यह देखते हुए कर्नाटक के राज्य कानून मंत्री ने वर्ष 2018 में कहा था कः RTE का मुख्य उद्देश्य सभी छात्रों को शकषा प्रदान करना है ।
  - कर्नाटक सरकार की राजपत्र अधसूचना- 2018 वर्तमान में न्यायकि जाँच के अधीन है ।
- नजी स्कूलों और शकषक संगठनों ने नोट कयिा है कः राज्य सरकारें प्रायः इस कोटा के तहत दाखलि लेने वाले छात्रों के शुलक की प्रतःपूरति

करने में वफिल रहती हैं, जैसा कि RTE अधिनियम की धारा 12 (2) द्वारा अनिवार्य है जिसके लिये राज्य सरकारों को स्कूलों के प्रति बच्चे के खर्च या शुल्क राशि, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति करनी होगी।

## इस छूट के संभावित नहितार्थ क्या हैं?

- **वपिक्ष में तरक:**
  - वशिषज्जों ने **केंद्रीय कानून** में संशोधन करने के **राज्य के अधिकार** पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि अधिसूचना RTE के वपिरीत है तथा इससे बचा जाना चाहिये।
  - महाराष्ट्र सरकार के संशोधन की इस आधार पर आलोचना की गई है कि यह **अनुचित** है और शिक्षा असमानता से नपिटने में **धारा 12(1)(C)** के महत्त्व पर ज़ोर देता है।
- **पक्ष में तरक:**
  - महाराष्ट्र सरकार ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि किये गए संशोधन, वर्ष 2011 और 2013 में तैयार किये गए नियमों में **थेमूल कानून में नहीं** तथा राज्यों को **RTE अधिनियम की धारा 38** द्वारा इसके कार्यान्वयन के लिये नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।
  - यह देखते हुए कि **धारा 6** वंचित क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की सफिराशि करती है और **धारा 12.1(C)** ऐसे स्कूलों के निर्माण तक एक अस्थायी उपाय है, यह **कदम RTE अधिनियम का उल्लंघन नहीं करता है।**
  - नजिी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों ने नए नियमों का स्वागत करते हुए तरक दिया है कि इस कदम से सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या में वृद्धा होगी।

## क्या अल्पसंख्यक स्कूलों को RTE कोटा प्रवेश का पालन करने से छूट दी गई है?

- संवधान का **अनुच्छेद 30** अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी **वशिषिट संस्कृति, भाषा और लपिी** को संरक्षति करने के लिये शैक्षणकि संस्थानों की स्थापना व प्रबंधन करने के अधिकार की गारंटी देता है।
  - अतः वर्ष 2012 में RTE अधिनियम 2009 में एक संशोधन के माध्यम से धार्मकि शिक्षा प्रदान करने वाले **संस्थानों को** RTE अधिनियम के तहत 25% आरक्षण के अनुपालन से **छूट प्रदान की गई।**
- वर्ष 2014 में **सरवोच्च न्यायालय** ने **प्रमती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम यूनयिन ऑफ इंडिया और अन्य** मामले में नरिणय सुनाया कि RTE अधिनियम अल्पसंख्यक वदियालयों पर लागू नहीं होता है।

## RTE अधिनियम से संबंधित महत्त्वपूर्ण उपबंध क्या हैं?

- **नःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभकि शिक्षा का अधिकार:**
  - छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक **बालक** को उसकी प्रारंभकि शिक्षा पूरी होने तक कसिी आस-पास के वदियालय में **नःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा** का अधिकार है तथा साथ ही 6 वर्ष से अधिक आयु के बालक, जसिने वदियालय में प्रवेश नहीं लिया है, को उसकी आयु के अनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश दिये जाने का प्रावधान कयिा गया है।
    - **सहायता प्राप्त वदियालय** भी अपनी आवरती सहायता के अनुपात में **कम-से-कम 25% की सीमा तक** नःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
  - **प्रारंभकि शिक्षा** पूरी होने तक नःशुल्क होती है और कसिी भी बच्चे को **प्रारंभकि शिक्षा पूरी करने से पहले रोका नहीं जा सकता**, नषिकासति नहीं कयिा जा सकता तथा कसिी बालक से **प्रारंभकि शिक्षा** पूरी होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- **पाठ्यक्रम और मान्यता:**
  - केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा नामति एक अकादमकि प्राधकिरण द्वारा प्रारंभकि शिक्षा के लिये पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रयिा वकिसति जाएगा।
  - सभी स्कूलों को स्थापना अथवा मान्यता से पूर्व **छात्र-शक्षक अनुपात मानदंडों** का अनुपालन करना और नरिधारति मानकों को पूरा करना आवश्यक होता है।
  - उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजति **शक्षक पात्रता परीक्षा (TET)** द्वारा शक्षक योग्यता सुनशिचति की जाएगी।
- **वदियालयों और शक्षकों के उत्तरदायतिव:**
  - शक्षकों को जनगणना, आपदा राहत और नरिवाचन कर्तव्यों के अतरिकित, **नजिी ट्यूशन** देने अथवा गैर-शक्षण कार्य करने से नरिबंध कयिा गया है।
  - स्कूलों को सरकारी सहायता के उपयोग की नगिरानी करने और स्कूल वकिस योजना बनाने के लयिवदियालय **प्रबंधन समतियिों (SMC)** की स्थापना की जाएगी जसिमें स्थानीय प्राधकिारी प्रतनिधि, माता-पति, अभिभावक तथा शक्षक की भागीदारी सुनशिचति की जाएगी।
- **शकियत नविरण:**
  - **सविलि न्यायालय** के समान शक्तियिों के साथ **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग** सुरक्षा उपायों की समीक्षा करता है और शकियतों की जाँच करता है। राज्य सरकार समान कार्यों के लिये एक **राज्य आयोग** भी स्थापति कर सकती है।

## नषिकरषः

हालाँक महाराषुडर सरकार के इस कदम से नजिी सुकुूलों पर वतुतुीतुतु भार कुकुु कम हो सकतुा है और साथ ही संभुावतुी रूप से सरकारी सुकुूलों मेंनामांकन दर में भी वृदुधतुी हो सकतुी है, लेकनन नुह हाशुाएी की पृषुठभूमा के बकुुुुओं के लनुतुी समानता एवं गुणवतुुतापूरुण शकुुुषा तक पहुँकुु के बारे में कुतुीा परदरुशतुी करतुा है । नजिी सुकुूलों को समरुथन देने तथा सभी के लनुतुी समावेशी शकुुुषा सुनशुकुतुी करने के बीच संतुलन एक वतुीादासुपद मुदुदा बना हुआ है ।

## UPSC सवललुी सेवा परीकुषा, वगलत वरुष के परुशुन

**????????????:**

परुशुन: नमुनलखलतुी कथनों पर वकुुीार कीजनुतुी: (2018)

1. शकुुुषा का अधकुुीार (RTE) अधननुतुीय के अनुसुार, राजुतुी में शकुुुषक के रूप में ननुतुीकुतुी के लनुतुी पातुर होने के लनुतुी वुतुीकुतुी को संबंघतुी राजुतुी शकुुुषक शकुुुषा परषलद दुवारा नरुधरतुी नुतुीनतुतुी योगुतुी रखने की आवशुतुीकतुी होगुी ।
2. RTE अधननुतुीय के अनुसुार, परुाथमकुी ककुषाओं को पदुाने के लनुतुी, एक उमुमीदुवार को राष्ट्रीय शकुुुषक शकुुुषा परषलद के दशुीा-नरुदशुीों के अनुसुार आयोजतुी शकुुुषक पातुरता परीकुषा उतुुीरुण करननुा आवशुतुीक है ।
3. भारत में 90% से अधकुी शकुुुषक शकुुुषा संसुथान सीधे राजुतुी सरकारों के अधीन है ।

उपरुतुी कथनों में से कुुीन-सा/से सही है/हैं?

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) केवल 3

उतुतर: (b)

## मेनुसः

परुशुन. सुकुुली शकुुुषा के महतुतुव के बारे में जागरूकतुी उतुपनन कनुतुी बननुी, बकुुुुओं की शकुुुषा में परेरणुा-आधरतुी पदुधतुी के संवरुदुधन में नःशुलुक और अनवलरुतुी बाल शकुुुषा का अधकुुीार अधननुतुीय, 2009 अपरुतुीपतु है । वशुल्लेषण कीजनुतुी । (2022)

परुशुन. "शकुुुषा एक नषलधनुतुी नरुी है, नुह सामाजकुी परवलरुतुीन एवं वुतुीकुतुी के सरुवांगीण वकुुीास के लनुतुी एक परुभावी और वुतुीापक उतुकरण है ।" उतुपरोकुतुी कथन के आलोक में नरुी शकुुुषा ननुतुी, 2020 (NEP, 2020) का आलोकननुतुीक परीकुषण कीजनुतुी । (2021)